गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2008

क्रमांक 467/तक-506/टीसी/2008.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 28, 65 तथा 96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है. जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा.

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"24. शुल्क इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला शुल्क नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा—

सारणी

स. क्र. (1)	प्रयोजन (2)	रकम (रुपये) (3)
1.	चिकित्सीय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में	50.00
2.	नैसिखिया अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के संबंध में	50.00
3.	चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किये जाने के संबंध में (प्रारुप-06 में) (प्रारुप-07 में)	150.00 200.00
4.	परिवहन यान के चालक को प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने के संबंध में	200.00
5.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने के संबंध में	100.00
6.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय की प्रतिप्रदाय किये जाने के संबंध में— (एक) सामान्य (दो) अत्यावश्यक	 100.00 150.00
7.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय से भिन्न किसी दस्तावेज की प्रति प्रदाय किये जाने के संबंध में— (एक) सामान्य (दो) अत्यावश्यक	 100.00 150.00"

2. नियम 62, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"62. फीस— उक्त अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी—

सारणी

स. क्र. (1)	प्रयोजन (2)	रकम (रुपये) (3)
1.	अस्थायी पंजीकरण का जारी किया जाना या उसके विस्तार और अस्थायी पंजीकरण चिन्ह समनुदेशन— (एक) अशक्त यान	 10.00

(1)	(2)	(3)
	(ई) मोटरसाईकल या मोटर साईकल-रिक्शा	100.00
	(एफ) हल्का मोटरयान	
	(1) निजी	200.00
	(2) परिवहन	400.00
	(डी) मध्यम मोटरयान अथवा अन्य कोई यान जो ऊपर वर्णित न हों	250.00
2.	अपील	150.00
3.	विनिश्चय/दस्तावेज की प्रमाणित प्रति	
	(एक) सामान्य	100.00
	(दो) अत्यावश्यक	150.00
4.	रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे जारी करने के लिये	100.00
5.	उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए—	
	(एक) हल्का मोटरयान—	
	(3) गैर-परिवहन यान	200.00
	(4) परिवहन यान	400.00
	(दो) मध्यम माल मोटरयान, मध्यम यात्री मोटर वाहन	450.00
	(तीन) भारी माल मोटरयान, भारी यात्री मोटरयान	500.00"

नियम 145 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायें, अर्थात् :—

"145 शुल्क इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी —

सारणी

क्र. (1)	प्रयोजन (2)	रकम (रुपये) (3)
1.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00
	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र या उसके प्रतिहस्ताक्षर के नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00
	संविदा वाहन के अनुज्ञा-पत्र स्वीकृति या नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
	संविदा वाहन के अनुज्ञा-पत्र के प्रतिहस्ताक्षर स्वीकृति या नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में.	1,500.00
	प्रायवेट सेवा यान के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
	मोटर-कैब के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,000.00

(2)	(3)
मोटर-केब के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
मालयान के अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
मालयान के अनुज्ञा-पत्र दिये जाने या प्रतिहस्ताक्षर नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
मालयान के राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
पर्यटक यान (ओमनी बस) अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2,000.00
अखिल भारतीय पर्यटक टेक्सी-केब अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
मोटर-केब से भिन्न परिवहन यान के लिए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में—	
(क) धारा-87 (1) (क) के अधीन यात्री वाहन के लिए	300.00
(ख) धारा-87 (1) (ख) के अधीन यात्री वाहन के लिए	750.00
(ग) धारा-87 (1) (ग) के अधीन यात्री वाहन के लिए	750.00
मोटर केब के लिए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में	200.00
मोटरयान अधिनियम की धारा-88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन के संबंध में—	
(डी) 07 दिवस तक के लिए	500.00
(ई) 07 दिवस से अधिक 15 दिवस तक के लिए	1,000.00
(एफ) 15 दिवस से अधिक	1,500.00
मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र में क्षेत्र या मार्गों का विस्तारण या उसमें फेरफार करने या प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00
मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र के समय में परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00
अस्थायी अनुज्ञा-पत्र के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन के संबंध में	
(क) मोटर-केब के लिए	500.00
(ख) किसी अन्य परिवहन यान के संबंध में	1,000.00
चार मास के अनधिक कालावधि के लिए किसी यान के अस्थायी प्रतिस्थापन की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में.	750.00
प्रक्रम या संविदा अनुज्ञा-पत्र में किसी यान के प्रतिस्थापन की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में.	750.00
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-82 के अधीन मोटर-केब से भिन्न प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र के हस्तान्तरण हेतु आवेदन के संबंध में.	1,500.00
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-82 के अधीन मोटर-केब के प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र के हस्तान्तरण हेतु आवेदन के संबंध में.	750.00
अनुज्ञा-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	250.00

-27-

(5)

(1)	(2)	(3)
24.	किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	500.00
25.	अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में—	
	(ए) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन हेतु—	
	(क) राज्य परिवहन प्राधिकारी	500.00
	(ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	500.00
	(बी) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में	
	(क) राज्य परिवहन प्राधिकारी	500.00
	(ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	500.00
26.	स्थगन हेतु आवेदन के संबंध में यदि उस बाबत् अपील के ज्ञापन/पुनरीक्षण के आवेदन के साथ फाईल किया जाता है.	200.00
27.	अपील प्राधिकारी राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेखों की प्रतियों का प्रदाय किये जाने के संबंध में—	
	(सी) अपील प्राधिकारी राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिए—	
	(एक) सामान्य—	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 30.00 तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. [illegible]
	(दो) अतिआवश्यक—	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 60.00 तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 30.00
	(डी) अपील अधिकरण राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेख के किन्हीं अन्य दस्तावेजों के लिए—	
	(एक) सामान्य	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 30.00 तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 10.00
	(दो) अतिआवश्यक	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 60.00 तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 20.00
28.	अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या इन प्राधिकारियों के सचिव को संबोधित किसी अन्य प्रकीर्ण आवेदन के संबंध में.	10.00"

टीप :- 1. कॉलम 25, 26, 27 एवं 28 में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन के संबंध में शुल्क का संदाय यथा विनिर्दिष्ट मूल्य के बराबर की न्यायिक स्टाम्प चिपका कर किया जा सकेगा.

2. इस नियम के खण्ड 8 और 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीनीकरण करने हेतु या अस्थायी अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने हेतु आवेदन के संबंध में कोई फीस संदेय नहीं होगी, यदि आवेदक [illegible]

ट्रेक्टर-अनुयान के लिए प्रस्तुत किया गया हो.

स्पष्टीकरण :- अभिव्यक्ति "वास्तविक कृषक" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में किया गया है.

Raipur, the 31st May 2008

No. 467/Tech-506/TC/2008.—In exercise of the powers conferred by section 28, 65 and 96 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994 the same having been previously published as required by the sub-section (1) of section 212 of the said Act, with effect from its publication in the official Gazette.

AMENDMENT

the said rules,—

For Rule 24, the following shall be substituted, namely :—

"24 Fees— The fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified in the table below :—

TABLE

No.	Purpose	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)
	In respect of issue of Medical Certificate	50.00
	In respect of duplicate Learner's License	50.00
	In respect issue of duplicate Driving License—	
	(In form No. 6)	150.00
	(In form No. 7)	200.00
	In respect of issue of authorization to the driver of a transport vehicle	200.00
	In respect an appeal against the order of the Licensing Authority	400.00
	In respect of supplying a copy of the decision of the licensing Authority—	
	(One) Ordinary	100.00
	(Two) Urgent	150.00
	In respect of supply of copy of a document other than the decision of the Licensing Authority—	
	(One) Ordinary	100.00
	(Two) Urgent	150.00"

2. For Rule 62, the following shall be substituted, namely :—

"62 Fees— The fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified below :—

TABLE

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (Rs.) (3)
1.	Issue of temporary registration or extension thereof and assignement of temporary registration mark—	
	(D) Invalid Carriage	10.00
	(E) Motor Cycle or Motor Cycle Rickshaw	100.00
	(F) Light Motor Vehicle	
	(1) Private	200.00
	(2) Transport	400.00
	(D) Medium Motor Vehicle or any other vehicle not mentioned above	250.00
2.	Appeal	150.00
3.	Certified copy of the decision/document	
	(One) Ordinary	100.00
	(Two) Urgent	150.00
4.	Issue of particulars of registration	100.00
5.	Issue of duplicate copy of certificate of fitness	
	(One) Light Motor Vehicle	
	3. Non Transport Vehicle	200.00
	4. Transport Vehicle	400.00
	(Two) Medium goods vehicle, Medium passenger vehicle	450.00
	(Three) Heavy goods vehicle, Heavy passenger vehicle	500.00"

3. For Rule 145, the following shall be substituted, namely :—

"145 Fees— The fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified below :—

TABLE

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (Rs.) (3)
1.	In respect of an application for grant or renewal of Stage Carriage/reserve Stage carriage permit.	1,500.00
2.	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of Stage carriage/reserve stage carriage permit.	1,500.00
3.	In respect of application for grant or renewal of contract carriage permit	1,500.00
4.	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of contract carriage permit.	1,500.00

(1)	(2)	(3)
5.	In respect of an application for grant/renewal of private service vehicle permit.	1,500.00
6.	In respect of an application for grant/renewal of Motor Cab permit	1,000.00
7.	In respect of grant/renewal of countersignature of Motor Cab permit	1,000.00
8.	In respect of an application for grant/renewal of goods carriage permit	1,500.00
9.	In respect of an application for grant/renewal of a countersignature of goods carriage permit.	1,500.00
10.	In respect of an application for grant/renewal of a national permit for goods carriage.	1,500.00
11.	In respect of an application for grant/renewal of a tourist vehicle (Omni bus) permit.	2,000.00
12.	In respect of an application for grant/renewal of all India Tourist Taxi cab permit.	1,500.00
13.	In respect of an application for Temporary permits for a Transport Vehicle other than a Taxi Cab—	
	(D) Under Section 87 (1) (A) for Passenger Vehicle	300.00
	(E) Under Section 87 (1) (B) for Passenger Vehicle	750.00
	(F) Under Section 87 (1) (C) for Passenger Vehicle	750.00
14.	In respect of an application for grant of a Temporary permit for Motor Cab	200.00
15.	In respect of an application for a Special Permit U/s 88(8) of the Motor Vehicle Act.	
	(d) For the period up to 07 days	500.00
	(e) For the period exceeding 07 days up to 15 days	1,000.00
	(f) For the period exceeding 15 days	1,500.00
16.	In respect of an application for extension or variation in area or routes on a Permit or Countersignature of Stage Carriage/Contract Carriage permit.	1,500.00
17.	In respect of an application for change of timing of Stage Carriage/reserve Stage Carriage permit.	1,500.00
18.	In respect of an application for Countersignature of a Temporary Permit	
	(C) For Motor Cab	500.00
	(D) Any other Transport Vehicle	1,000.00
19.	In respect of an application for grant of temporary replacement of vehicle for the period not exceeding four month.	750.00
20.	In respect of an application for grant of replacement of vehicle in the Stage or Contract Carriage permit.	750.00
	In respect of an application for transfer of each permit other than a Motor Cab under section 82 of the Motor Vehicles Act, 1988.	1,500.00

(1)	(2)	(3)
22.	In respect of an application for transfer of each permit of a Motor Cab under section 82 of the Motor Vehicles Act, 1988.	750.00
23.	In respect of an application for issue of a duplicate copy of the permit	250.00
24.	In respect of an application for issue of a duplicate copy of a temporary permit	500.00
25.	In respect of Appeal or Revision	
	(3) Memorandum of appeal against the order of the following—	
	(A) State Transport Authority	500.00
	(B) Regional Transport Authority	500.00
	(2) In respect of an application for revision against the order of the following —	
	(A) State Transport Authority	500.00
	(B) Regional Transport Authority	500.00
26.	In respect of an application for stay if filed with the memorandum of appeal/ application for revision.	200.00
27	In respect of supply of copies of documents of Appellate Authority, State Transport Authority, and Regional Transport Authority—	
	(A) For supply of copy of Judgment or order of the Appellate Authority, State Transport Authority or Regional Transport Authority—	
	(i) Ordinary	Rs. 30.00 for the first page and Rs. 15.00 for each subsequent page.
	(ii) Urgent	Rs. 60.00 for the first page and Rs. 30.00 for each subsequent page.
	(B) Any other documents of the record of Appellate Tribunal, State Transport Authority or Regional Transport Authority—	
	(i) Ordinary	Rs. 30.00 for the first page and Rs. 10.00 for each subsequent page.
	(ii) Urgent;	Rs. 60.00 for the first page and Rs. 20.00 for each subsequent page.
28.	In respect of any other miscellaneous application which addressed to the Appellate Tribunal, State Transport Authority, Regional Transport Authority or the Secretary of these Authories.	10.00"

Note :—1. Fee in respect of application as specified in column 25, 26, 27, and 28 may be paid by way of affixing judicial stamps of the same value as specified.

2. No fee shall be payable in respect of an applications for grant/renewal of permit or for grant of temporary permit as specified in clause 08 and 13 of this rule, if the application is presented by a bonafied agriculturist for Tactor-Trolly owend by him.

Explanation :— The expression "Bonafied agriculturist" shall have the meaning assigned to it in the 'Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 13 अप्रैल 2008

क्रमांक/1162/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894-(क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :--

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	सिंगनवाही प. ह. नं. 16	0.07	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), रायपुर संभाग (छ. ग.)	पुल निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डी लोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2008

क्रमांक ई-7/3/2003/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24-5-2008 के द्वारा डॉ. [illegible], भा. प्र. से., [illegible] छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 28-05-2008 से [illegible]-06-2008 तक (21 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. डॉ. शुक्ला के उक्त अवकाश अवधि में डॉ. बी. एस. अनन्त, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रायपुर अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2008

क्रमांक ई-7/11/2003/1/2.—श्री एस. के. बेहार, भा. प्र. से., आयुक्त उद्योग, छत्तीसगढ़, रायपुर दिनांक 20-05-2008 से 20-06-2008 तक (32 दिवस) लघुकृत अवकाश पर है.

2. अतः श्री बेहार के उक्त अवकाश अवधि में श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, उद्योग, छत्तीसगढ़, रायपुर का कार्य भी संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, [illegible] सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2008

क्रमांक [illegible]/तक-506/टीसी/2008.—चूंकि राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि, नवीन [illegible] [illegible] अनुभव युक्त सकल अधिकारी के रूप में अपीलीय प्राधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी अथवा न्यायिक निर्णय करने का प्राधिकारी जो किसी विधि के अंतर्गत कोई आदेश पारित करने या कोई निर्णय लेने में सक्षम हो, से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार गठित किया जावे.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) सह पठित उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक [illegible] दिनांक [illegible] 2002 एवं क्रमांक एफ 5-46/दो/आठ-परि./02, दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 को अधिक्रमित करते हुए नीचे दी गई तालिका के कॉलम 03 में वर्णित संभागायुक्त के रूप में कॉलम-01 एवं कॉलम 02 में वर्णित [illegible] अंतर्गत उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन दिये गये शक्तियों एवं कृत्यों को [illegible] करती है, अर्थात् :—

तालिका

क्षेत्र का नाम	क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र	क्षेत्रीय [illegible] प्राधिकार	[illegible] [illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)
रायपुर	रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी के समस्त जिले.	संभागायुक्त, रायपुर संभाग	रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर बीजापुर के राजस्व जिले.	संभागायुक्त, जगदलपुर संभाग.	जगदलपुर
बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़ के राजस्व जिले	संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग.	बिलासपुर
अंबिकापुर (सरगुजा)	अंबिकापुर (सरगुजा), कोरिया, जशपुर नगर	संभागायुक्त, अंबिकापुर संभाग.	अंबिकापुर

Raipur, the 6th June 2008

No. 1011/Tech-506/TC/2008.—Whereas the State Government considers it necessary to constitute Regional Transport Authority of a single Official with judicial experience as an appellate authority or a regional authority or as an adjudicating authority competent to pass any order or take any decision under any law, for newly constituted commissionarate.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with second proviso to sub-section (2) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of this Department Notification No. 5-45/Two (Eight -Trans.) 02, dated 19th December, 2002 and No. F 5-46/VIII-Trans./02, dated 24th Dec 2002, the State Government, hereby constitute Regional Transport Authority consisting of the Divisional Commissioner mentioned in column (3) of the schedule below for the areas specified in column (1) and in column (2) with headquarters as shown in column (4) of the said Schedule to exercise and discharge throughout the respective areas, the powers and functions conferred by or under said Act on such authorities, namely :—

SCHEDULE

Name of the Region	Areas included in the Region	Regional Transport Authority	Head-Quarters of the Regional Transport Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
Raipur	Revenue District of Raipur, Durg, Rajnandgaon, Kabirdham, Mahasamund, Dhamtari.	Commissioner, Raipur Division.	Raipur
Jagdalpur	Revenue District of Jagdalpur, Kanker, Dantewada, Narayanpur, Bijapur.	Commissioner, Jagdalpur Division.	Jagdalpur
Bilaspur	Revenue District of Bilaspur, Janjgir-Champa, Korba, Raigarh.	Commissioner, Bilaspur Division.	Bilaspur
Ambikapur (Sarguja)	Ambikapur (Sarguja), Koriya, Jashpur Nagar.	Commissioner, Ambikapur Division.	Ambikapur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्रमांक 2758/तक-604/टीसी/2008.— छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा-138 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है, और एतद्द्वारा सूचित करती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, (परिवहन) छत्तीसगढ़ राज्य शासन, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर, कक्ष क्रमांक-384, के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 214 के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(3) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 127 की उपधारा (3) तथा धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन भिन्न-भिन्न यानों के संबंध में देय अनुकर्षण व्यय, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी, अर्थात् :—

स. क्र.	वाहन के प्रकार	अनुकर्षण व्यय
1.	स्कूटर, मोटर-साईकिल	रु. 100.00 प्रतियान
2.	हल्के मोटरयान (कार, जीप, आटो-रिक्शा आदि)	रु. 200.00 प्रतियान
3.	भारी मोटरयान (खाली ट्रक, बस)	रु. 300.00 प्रतियान
4.	भारी मोटरयान (भरे हुए ट्रक, बस)	रु. 350.00 प्रतियान
5.	मध्यम मोटरयान	रु. 250.00 प्रतियान

Raipur, the 17th September 2008

No. 2758/Tech-604/TC/2008.—The following draft amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is published as acquired by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours by the office of Principal Secretary (Transport) of Government of Chhattisgarh State, Room No. 384, Dau

Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (3) of rule 214, the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(3) Towing costs payable under sub-section (3) of Section 127 and sub-section (1) of Section 201 of the Motor Vehicles Act 1988 in respect of different vehicles shall be levied as specified below, namely :—

S. No.	Class of Vehicles	Towing Cost
1.	Scooter, Motor-Cycle	Rs. 100.00 per vehicle
2.	Light Motor Vehicle (Car, Jeep, Auto-Rickshaw) etc.	Rs. 200.00 per vehicle
3.	Heavy Motor Vehicle (Empty Truck, Bus)	Rs. 300.00 per vehicle
4.	Heavy Motor Vehicle (Loaded Track, Bus)	Rs. 350.00 per vehicle
5.	Medium Motor Vehicle	Rs. 250.00 per vehicle

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक 2795/तक-550/टीसी/2008.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 65, 96 तथा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 70 के पश्चात् निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्—

170-क स्लीपर शयनयान एवं अर्द्ध-स्लीपर शयनयान के संबंध में विशेष प्रावधान—

(क) शयनयान से अभिप्रेत है, डीलक्स वाहन के रूप में इस नियम के अंतर्गत वातानुकूलित इकाई के साथ या बिना निर्मित की गई वाहन और ऐसी वाहन का व्हील बेस 205 इंच से कम नहीं होगा.

(ख) अर्द्ध-शयनयान से अभिप्रेत ऐसे यान से है, जिसमें फर्श पर यात्री सीटें और ऊपर की ओर शयन हो, और ऐसी वाहन का व्हील बेस 205 इंच से कम नहीं होगा.

170-ख डीलक्स शयनयान

(1) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 93 सह-पठित नियम 128 (2), (3), (4), (5), (6), (9) (i), (12) व (13) के अध्यधीन यथा परिवर्तित रूप में लागू रहते हुए, शयनयान/अर्द्ध-शयनयान के लिए, विशेष प्रावधान निम्नानुसार होंगे—

170-ग डीलक्स शयनयान

(1) (क) शयनयान जिसकी आयु प्रथम पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक है तो उसे परमिट की वैधता के दौरान अनुज्ञात नहीं की जाएगी, और जहां ऐसा वाहन 10 वर्ष की अधिक आयु का होता है तो ऐसा परमिट अवैध हो जायेगा.

(ख) शयनयान अनुज्ञा-पत्र के अंतर्गत आने वाले वाहन, अनुज्ञा-पत्र जारी करते समय अथवा वाहन के प्रति[illegible]न के समय प्रथम पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष से अधिक आयु की न[illegible]ीं होगी.

(2) **शयन/बर्थ व्यवस्था—**

(क) मोटरयान में शयन बर्थ की व्यवस्था वाहन के लम्बाई में केवल दो तलीय शयन आधार पर उपलब्ध की जाएगी प्रत्येक शयन की लम्बाई न्यूनतम 1,750 मि. मि. तथा चौड़ाई न्यूनतम 760 मि. मी. एवं अधिकतम 900 मि. मि तक होगी. प्रत्येक शयन की मोटाई न्यूनतम 75 मि. मि. होगी.

(ख) आने जाने के रास्ते (गेंगवे) की चौड़ाई 450 मि. मि. से कम की नहीं होगी.

(ग) दो शयन के मध्य संरचना विभाजक की चौड़ाई न्यूनतम 25 मि. मि. से कम की नहीं होगी.

(घ) वाहन के फर्श से निचला शयन न्यूनतम 150 मि. मि. ऊंचाई पर स्थापित किया जायेगा.

(ङ) नीचे की शयन में बैठे यात्री के लिए स्पष्ट शीर्षकक्ष (हेड-रूम) 800 मि. मि. से कम नहीं होगा.

(च) छत के बाजू के घुमाव को छोड़कर ऊपर के शयन का स्पष्ट शीर्षकक्ष (हेड--रूम) 650 मि. मि. से कम नहीं होगा.

(छ) ऊपर के शयन को ठोस प्रकार से विभाजक पर कील युक्त या झलाईदार अथवा रिपिट युक्त मजबूती से पकड़ वाला बनाया जायेगा, और शयन पर लटकते हुए दो चमकदार इस्पात की जंजीर से मजबूती से पकड़ किये होंगे. यह इस्पात जंजीर छत के निर्माण भुजाओं पर कील युक्त या झलाईदार किये होंगे. जंजीर की लम्बाई ऐसी और पर्याप्त होगी कि यात्री शयनों पर सुविधा पूर्वक अन्दर या बाहर आ जा सकें.

(ज) ऊपर की शयन के यात्री के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, ताकि वे ऊपर की शयन पर जा सके या नीचे आ सके

(झ) ऊपर के शयन तक सुविधा पूर्वक पहुंचने के लिए एक सहायक हत्था और पैरदान सुविधाजनक ऊंचाई पर उपलब्ध किया जायेगा.

(ण) परिसहायक/व्यवस्थापक के लिए सीट को छोड़कर आने जाने के रास्ते में कोई सीट या शयन लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

(ट) प्रत्येक शयन वस्त्र आवरण से उपलब्ध की जायेगी, जो स्वच्छ एवं रोग मुक्त स्थिति में रखे जाने योग्य रहेगी.

(ठ) प्रत्येक यात्री को एक तकिया एवं दो साफ चादर उपलब्ध की जाएगी (एक ओढ़ने के लिए और दूसरी बिछाने के लिए) इन्हें हमेशा अच्छी और रोग मुक्त स्थिति में रखा जायेगा.

(ड) ऊपर की शयन के दोनों ओर नरम सामग्री युक्त का सुरक्षा कब्ज उपलब्ध किया जाएगा.

(3) अन्य विवरण—

(क) **शीर्षकक्ष**—यान की आंतरिक ऊंचाई 1,850 मि. मि. से कम नहीं होगी.

(ख) **बॉडी संरचना**— परिदृढ़ चेचिंस की दशा में ऐसे लोक सेवा यान की बॉडी चेचिंस पर उच्चटेनसाईल एवं इस्पात बोल्ट जो 16 मि. मि. की परिधि से कम न हो बनाया जाएगा. जहां ऐसे छिद्र करने को जैसा कि निर्माता द्वारा तकनीकी रूप से मान्यता दी गई है को छोड़कर चेचिंस के पार्श्व तकनीकी रूप से मान्यता दी गई है को छोड़कर चेचिंस के पार्श्व (दिशान्तरीय) भाग पर कोई छेद ड्रील मशीन से नहीं किया जाएगा. बॉडी संरचना और चेचिंस फ्रेम के बीच में रबर की पेकिंग या माउंटिंग समुचित मोटाई की होगी.

(ग) **फर्श**—ऐसे लोक सेवा यान के फर्श की सामग्री ध्वनि मुक्त, एन्टीस्कीड और धोने योग्य होगी. सुविधाओं के लिए फर्श सुरक्षित होगा, और रबर या सेन्थेटिक चटाई या गलीचे से ढका होगा. उचित पेकिंग सामग्री के द्वारा सभी जोड़ धूल मुक्त रहेंगे.

(घ) **छत**—ऐसे लोक सेवा यान की सिलींग की छत मुलायम सामग्री या समान सामग्री जैसे [illegible] से दबाव समाप्त करने के लिए उपलब्ध किया जाएगा.

(ङ) **प्रकाश**—सामान्य प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त प्रत्येक शयन के लिए सुविधाजनक स्थान पर व्यक्तिगत रिडिंग लाईट उपलब्ध की जाएगी.

(च) **रंग-रोगन और सजावट**—ऐसी लोक सेवा यान को "नेट्रो सेल्यूलोस" या "सेन्थेटिक इनेमल" या अन्य शोभा रंग से जो अनुज्ञात रंग योजना की हों रंग किया जाएगा.

(छ) **वातानुकूलित यंत्र कक्ष**—

(1) ऐसे लोक सेवा यान में समुचित मानक के वातानुकूलित यूनिट लगायी जा सकेगी.

(2) वातानुकूलित इंजन कक्ष ध्वनि रोधक सामग्री से युक्त होगा, ताकि इंजिन के शोर को [illegible] डी. बी. लेबल तक और कंपन या माउंटिंग के कंपन सेल्यून कक्ष से कम कर सके.

(3) **शिथिलीकरण देने की शक्ति**—राज्य शासन डीलक्स शयनयान/शयन बस के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी वाहन को ठंडे करने की क्षमता या ऊपर दर्शाई गई किसी भी शर्त से लिखित में कारण दर्शाते हुए आदेश द्वारा शिथिलीकरण प्रदान कर सकता है.

(ज) **खिड़कियां**—

(i) खिड़कियां दोहरी स्लाडिंग युक्त स्लाईडर जो चेनल में सुगमतापूर्वक आगे पीछे बिना कंपन के [illegible] और जो सम्पूर्ण सुरक्षा या लेमिनेटेड सेफ्टी कांच जो भारतीय मानक ब्यूरों के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो उपलब्ध की जाएगी. खिड़कियों में खिसकने वाले पर्दे उपलब्ध किये जाएंगे.

(ii) जहां स्थिर कांच उपलब्ध किये गये हों, ऐसी दशा में कम से कम छत के ऊपर समुचित स्थान पर वायु परिचालन के लिए कम से कम एक दरार उपलब्ध की जाएगी.

(iii) खिसकने वाली खिड़कियां चालक विभाजक में चालक के ठीक पीछे उपलब्ध की जाएगी.

(झ) **विविध**—

(i) ऐसे लोक सेवा यान में कोई हेट-रेक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(ii) ऐसे लोक सेवा यान वेबलर संसपेंशन या न्यूमेटिक संसपेंशन से युक्त होगा.

(iii) केनरी के प्रतिबिंबित रिबन पीले रंग में 50 मि. मि. चौड़ाई के आगे और पीछे की ओर बम्पर के स्थान लेबल पर उपलब्ध किये जायेंगे.

(iv) ऐसे लोक सेवा यान में परिसहायक/व्यवस्थापक यात्रियों की सेवा के लिए चालक/चालकों या परिचालक के अतिरिक्त उपलब्ध किया जाएगा.

170-घ. अर्द्ध शयनयान—

(i) अर्द्ध शयनयान में शयन बर्थ की लम्बाई में उपलब्ध की जाएगी, कोच के ऊपरी आधे भाग में दोनों ओर एकल शयन कतार में होगी, को छोड़कर डीलक्स शयनयान के प्रावधान अर्द्ध शयनयान पर, जहां तक लागू हो सकेंगे, लागू किये जायेंगे. प्रत्येक शयन की लम्बाई न्यूनतम 1,750 मि. मि. से कम नहीं होगी और चौड़ाई 450 मि. मि. से कम नहीं होगी. प्रत्येक शयन की मोटाई न्यूनतम 75 मि. मि. होगी.

(ii) (1) प्रथम पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी अर्द्धशयनयान को परमिट नहीं दिया जाएगा. परमिट की वैधता के दौरान यदि वाहन 10 वर्ष से अधिक की हो जाती है तो ऐसा परमिट अवैध हो जायेगा. अर्द्धशयनयान

परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहन से प्रारम्भिक परमिट जारी करने के अथवा वाहन प्रतिस्थापन करने के समय प्रथम पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी.

(2) सीट योजना यान में दोनों ओर दो और दो में होगी, सभी सीटें आगे की ओर मुख किये, बीच का मार्ग स्पष्टतः कम से कम 355 मि. मि. का होगा. प्रत्येक यात्री सीट का न्यूनतम क्षेत्र 447 मि. मि. × 457 मि. मि. का होगा. और एक आर्मरेस्ट दोनों ओर होगा ओर सीट पार्श्व पूरी ऊंचाई का होगा.

170-ङ **शिथिलीकरण प्रदान करने की शक्ति**—राज्य शासन डीलक्स शयनयान/अर्द्धशयनयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी वाहन को आदेश द्वारा ऊपर दर्शाई गई किसी भी एक या अन्य शर्त से लिखित में कारण दर्शाते हुए शिथिलीकरण प्रदान कर सकता है.

170-च **पंजीयन प्रमाण-पत्र और अनुज्ञा-पत्र में इन्द्राज**—डीलक्स शयनयान और अर्द्ध शयनयान जैसी भी स्थिति हो, के पंजीयन प्रमाण-पत्र और अनुज्ञा-पत्र में सीट क्षमता, शयन क्षमता और वातानुकूलित युक्त अथवा मुक्त संबंधी विवरण दर्ज किये जाएंगे.

Raipur, the 22th September 2008

No. 2795/Tech-550/TC/2008.—In exercise of the powers conferred by Section 65, 96 and 211 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994 which has already been published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After rule 170, the following shall be inserted, namely :—

"170-A. Special provisions for Sleeper Coach and Semi Sleeper Coach—

(a) "Sleeper Coach" means a deluxe vehicle constructed as such under this rule, with or without Air-Condition Unit an the wheel base of such vehicle shall not be less than 205 inches.

(b) "Semi Sleeper Caoch" means a coach having passenger seats on the floor and berths on the upper side of it, and the wheel base of such vehicle shall not be less than 205 inches.

170-B. Deluxe Sleeper Coach—

(1) Subject to rule 93 read with mutatis application of the provisions of rule 128 (2), (3), (4), (5), (6), (9) (i), (12) and (13) of the Central Motor Vehicles Rule, 1989, the special provisions for Sleeper Coach/Semi-Sleeper Coach shall be as here under—

170-C. Deluxe Sleeper Coach—

(1) (a) No Sleeper Coach of more then ten years age from the date of first registration, shall be permitted during the validity of its permit and where the vehicle becoming more than ten years age, such permit shall become invalid.

(b) The vehicle covered by sleeper coach permit, shall not be more than five years from the date of first registration of its at the time of initial issue of permit or replacement of vehicle.

(2) **Sleeper/Berth arrangement—**

(a) The sleeper berth shall be provided along with the vehicle with two tier system only. The length of each berth shall not be less than 1,750 mm. and width not less than 760 mm. and not more than 900 mm. The thickness of each berth shall not be less than 75 mm.

(b) The width of the Gangway shall not be less than 450 millimeters.

(c) The width of the structure partition shall not be less than 25 mm. between the two berth.

(d) The lower berth shall be fixed at a minimum height of 150 mm. from the flooring of the vehicle.

(e) The clear head room for the sitting passenger at lower berth shall not be less than 800 mm.

(f) The clear head room for upper berth shall not be less than 650 mm. except at the side curves of the roof.

(g) The upper berth shall be either fixed type with supports fixed rigidly by means of bolting or welding or pivot mounted at the partition and suspended by two bright steel chains mounted on hinges on berths. These chains shall be fixed rigidly by means of bolting or welding to the roof structural members, The length of chain shall be such and sufficient that the passenger could move easily in or out on the berths.

(h) Suitable arrangements shall be made for the upper berth passengers to enable them to go up or come down from the upper berth.

(i) An assist handle and footrest shall be provided for comfortable occupation of the upper berth at the convenient height.

(j) No seat/berth shall be permitted to be fitted in the gangway except a seat for coach attendant/manager at suitable place.

(k) Each berth shall be provided with fabric covering, which shall be capable of being kept in a clean and hygienic condition.

(l) One pillow and two neat linen shall be provided to each passenger. (one for wrapping and another for spreading). These shall be always in good and hygienic conditions.

(m) Safety guard covered with soft material on either side of the upper berth shall be provided.

(3) **Other particulars—**

(a) **Headroom-** The internal height of the saloon shall not be less than 1,850 mm.

(b) **Body mounting-** In case of rigid chassis the body of such public service vehicle shall be mounted on the chassis with high tensile, steel bolts with diameter of not less than 16 mm. No holes shall be drilled in the chassis side members (Longitudinal) except where such drilling is technically approved by the chassis manufactures. Rubberised packing or mounting of adequate thickness shall be used between the body structure and the chassis frame.

(c) **Flooring-** Flooring material of such public service vehicle shall be sound proof, anti-skid and washable. The floor shall be safe for the passengers and be covered with rubber or synthetic matting or carpets. All joints shall be dust proof by suitable packing material.

(d) **Roof-**Roof of ceiling of such public service vehicle shall be provided with soft material or equivalent materials like A. B. S. plastics to prevent impact.

(e) **Light-**Individual reading light at convenient location for each berth shall be provided in addition to normal lighting arrangement.

(f) **Painting and finishing-** Such public service vehicle shall be painted in "Nitro Cellulose" or "Synthetic Enamel" or other suitable paints of any permissible color scheme.

(g) **Air-condition unit mounting-**

(1) Such public service vehicle may be equipped with Air-Conditioning unit of adequate standard.

(2) The Air-condition engine compartment shall be provided with sound insulating

materials so as to damper the engine noise to suitable D. B. Level; and with vibrating mounting so as to minimise vibration factors in the saloon compartment.

(h) **Power of grant relaxation.** The State Government may grant relaxation by order to the vehicle registered as Deluxe Sleeper coach/Sleeper Bus from cooling capacity or any of the above condition, giving reasons in writing.

(i) **Windows—**

(i) The windows shall be provided with double sliding type slider running smoothly in channels without rattle and with all safety or laminated safety glasses conforming to the standard laid down by the bureau of Indan standards. Windows shall be provided with sliding curtains.

(ii) In case where the fixed galsses are provided, minimum one hatch should be provided on roof top at suitable place for air circulation.

(iii) Sliding windows shall be provided to the driver partition immediately behind the driver.

(j) **Miscellaneous—**

(i) No hat rack shall be permitted in such public service vehicle.

(ii) Such public service vehicle shall have weveller suspension or pneumatic suspension.

(iii) Reflective tape of canary yellow colour of 50 mm. width shall be provided at rear and front side at skirt level of/on bumper.

(iv) Such public service vehicle shall have an attendant/manager to take care of the passengers in addition to the driver/drivers or conductor.

170-D. Semi-Sleeper Coach—

(i) The provisions of deluxe sleepwe coach shall as for as, be applicable to Semi-Sleeper coach except, the sleeper berth in semi-sleeper coach should be provided along with the vehicle in the upper half side of the coach in single berth row on both side. The length of each berth of less shall not be less than 1,750 mm. and width not less than 450 mm. The thickness of each berth shall not be less than 75 mm.

(ii) **Age of the Semi-Sleeper Coach—**

(1) No Semi-Sleeper Coach of more than ten years age from the date of first registration, shall be permitted. During the validity of its permit, where the vehicle becoming more than ten years age, such permit shall become invalid.

(2) The vehicle covered by semi-sleeper coach permit, shall not be more than five yeas old from the date of its first registration at the time of initial issue of permit or replacement of vehicle.

(3) Seating layout shall be two and two on either side, all seats facing forward, with a clear gangway of atleast 355 mm. at the centre. Each passenger seat shall have a minimum area of 447 mm. x 457 mm. and an arm-rest on both sides and seat-back of full height.

170-E. Powers of State Government to grant relaxation- The State Government may grant relaxation by order to the vehicles registered as Deluxe Sleeper Coach/Semi-Sleeper coach from one or any of the above conditions giving reasons in writing.

170-F. Entry in Certificate of Registration and Permit-Seating capacity, berth capacity and with or without A.C. particulars shall be entered in the certificate of registration and permit of Deluxe Sleeper Coach and Semi Sleeper coach as the case may be.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्र. 1367 A/567/2006/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वित्त सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 36 ग के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"36-ग. सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें —

(1) सेवा में केवल ऐसे ही अधिकारी वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति किए जाने हेतु विचार किए जाने के पात्र होंगे, जिन्होंने चयन वर्ष की पहली जनवरी को सेवा के प्रवर श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.

(2) सेवा की प्रवर श्रेणी में कार्यरत अधिकारियों को सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयन किए जाने हेतु अनुसूची-चार के कालम (6) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जाएगा.

(3) चयन "वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर किया जायेगा.

(4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सामान्यतः प्रतिवर्ष तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में उसमें से नियुक्तियां की जायेंगी.

(5) राज्य शासन द्वारा उपरोक्त उपनियम (4) के अधीन अनुमोदित चयन सूची ऐसे अनुमोदन की तारीख से अधिकतम 18 मास की कालावधि के लिये या चयन समिति की आगामी बैठक होने तक, जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य रहेगी.

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहां तक कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी से हो, उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगी.

[illegible] के अधीनस्थ रहेंगे तथा उनके द्वारा प्रत्यायोजित उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का प्रयोग करेंगे :—

जिले का नाम	नाम एवं पता
रायगढ़	श्री रविशंकर यादव, आत्मज श्री महेश कुमार यादव, साकिन दीपापारा, सारंगढ़, जिला-रायगढ़.
	श्री दुर्गाप्रताप सिंह, आत्मज श्री प्रेम सिंह ठाकुर, साकिन पैलपारा, सारंगढ़, जिला-रायगढ़.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार भट्ट, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 1-76/03/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-76/03/10-2, दिनांक 23-07-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार भट्ट, विशेष सचिव.

Raipur, the 23rd July 2008

No. F 1-76/03/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) the State Government, hereby appoints, the following persons for the districts shown infront of their names as Honorary Wild Life Wardens for the period of one year from the date of publication of this notification in the Gazette. They shall be subordinate to the Chief Wild Life Warden of the State and exercise the powers and responsibilities delegated by the Chief Wild Life Warden, Chhattisgarh :—

Name of District	Name and Address
Raigarh	Shri Ravi Shankar Yadav, Son of Shri Mahesh Kumar Yadav, R/o Dipapara, Sarangarh, Distt. Raigarh.
	Shri Durga Pratap Singh, Son of Shri Prem Singh Thakur R/o Pailpara, Sarangarh, Distt. Raigarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. BHATT, Special Secretary.

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2008

क्रमांक 1682/तक-264/टीसी/2008.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-29/दो/आठ-परि./2005, दिनांक 12 अप्रैल, 2005 को अतिष्ठित करते

हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भाड़ा निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित और [illegible] है, जो नगर सेवाओं से भिन्न प्रक्रम वाहनों के लिये छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा :—

निर्देश

1 प्रक्रम वाहनों द्वारा प्रभार्य यात्री भाड़ा होगा :—

(1) सामान्य प्रक्रम वाहन — रुपये 3.00 प्रति यात्री प्रथम 5 कि. मी. के लिये [illegible] 00.60 पैसे प्रति यात्री प्रति कि. मी. या उसके भाग के लिये

2. निर्देश 1 के अधीन, संगणित यात्री भाड़ा में वृद्धि की जायेगी :—

(क) रात्रि बस सेवा के लिये - सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 10 प्रतिशत अधिक

(ख) एक्सप्रेस बसों के लिये - सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 10 प्रतिशत अधिक

(ग) लग्जरी बसों के लिये - सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 20 प्रतिशत अधिक

टीप :— उपरोक्त दरों से परिगणित करने पर किराए की राशि में 0.50 पैसे या उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित और 0.50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा.

उपरोक्त निर्देश नीचे अनुसूची में दिए गए शर्तों के अध्यधीन दिया जाएगा :—

अनुसूची

(1) नेत्रहीन व्यक्तियों, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों तथा दोनों पैरों से चलने फिरने में असमर्थ (विकलांग) व्यक्ति [illegible] जिनकी उम्र 80 (अस्सी) वर्ष या उससे अधिक हो, उन्हें यात्री किराये में 100% छूट दी जायेगी, अर्थात् कोई किराया नहीं लिया जावेगा.

(2) उपरोक्त स. क्र. (1) में दर्शित व्यक्तियों के सहायक व्यक्ति को यात्री किराये में 50 (पचास) प्रतिशत की छूट [illegible] आधा किराया देय होगा.

(3) उपरोक्त स. क्र. (1) में दर्शित दोनों पैरों से विकलांग व्यक्ति [illegible] अधिकारियों चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये [illegible] प्रमाण पत्र [illegible] समय यात्री वाहन के परिचालक/चालक को प्रस्तुत किया जायेगा.

(4) स. क्र. (1) से (3) तक के किसी भी शर्त के उल्लंघन पर अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 86 एवं [illegible] अधिनियम की धारा 34 के अधीन कार्यवाही की जायेगी.

Raipur, the 28th July 2008

No. 1682/Tech-264/TC/2008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Se[illegible] Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this Department Notification No. F-5[illegible] Trans/2005, dated 12 April 2005, the State Government hereby issues the following further directi[illegible] Transport Authority and Regional Transport Authority regarding fixation of the fares with effect from publication in the Official Gazette of Chhattisgarh for stage carriages other than city services :

DIRECTIONS

1 Fare chargeable by the stage carriages shall be—

(1)	In the case of Ordinary Stage Carriages.	-	Rupees three per passengers up to a distance of five Kilometers and thereafter 60 paise per passenger per kilometer or part thereof.

2. The fare calculated under direction 1 shall be increased—

(a)	For night bus sevice	-	Ten percent excess of the fare of ordinary stage Carriages.
(b)	For Express bus	-	Ten percent excess of the fare of ordinary stage Carriages.
(c)	For Luxury bus	-	Twenty percent excess of the fare of ordinary stage Carriages.

Note :—The total amount of fare calculated as per above, any amount of fifty paise and above shall be rounded off to the next higher rupee, and any amount less than fifty paise shall be ignored.

The above direction shall be subject to the conditions mentioned in the Schedule below :—

SCHEDULE

(1) Blind person, mentally retarded people and invalid person, who are not capable to walk on both the legs, and senior citizens whose age is eighty years or more shall be exempted 100% from the fare, i. e. no fare shall be charged.

(2) One attendant for the persons mentioned in S. No.-1 above shall be eligible for fifty percent exemptions from the passenger fare i. e. half of the fare shall be charged.

(3) For handicapped persons with both legs mentioned in S. No. 1, a certificate with photograph from the officers of Panchayat and Social Welfare Department or officers of Government Hospital shall be acceptable and such certificate shall be presented by the handicapped person during the journey to the conductor/driver of the passenger bus.

(4) The breach of any condition mentioned in S. No. 1 to 3 shall be actionable under section 86 of the Act, against the permit holder and under section 34 of the Act against the conductor.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2008

क्रमांक-एफ 3-18/2007/38.—डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर के प्रथम अध्यादेश का छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर द्वारा छ. ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (4) के तहत अनुमोदन किया गया है. जिसकी अधिसूचना दिनांक 29-09-2007 को जारी की जा रही है. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन के बाद प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2008

क्रमांक/2352/2286/32/07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-2074/2286/32/2007 दिनांक 10-10-2008 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी :

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुरखास (रामसागर पारा वार्ड)	385/1, 2-3 एवं 386, 387 का भाग	118280.00 वर्गफुट	एफ. ए. आर. 2.00	एफ. ए. आर. 2.38
		कुल योग	**118280.00 वर्गफुट**	-	-

सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेब्रियल एक्का, अवर सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2008

क्रमांक 3555/तक-294/टीसी/2008.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-53/डी/आठ-परि./02, दिनांक 01-06-2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सरल क्र. 1 के सम्मुख कालम नं. (स्तम्भ क्र.) (2), (3) तथा (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

स. क्र.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा	प्रशमन की रकम रुपये में	
		प्रथम अपराध के लिए	द्वितीय अथवा पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए लागू
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 177, अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध-मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमों के समस्त अपराध जो इस अनुसूची में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट नहीं है.	200.00	500.00